



राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस०यू०एल०एम०) अ०प्र०

(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,— सूडा उ.प्र.)

प्रथम तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

दूरभाष एवं फैक्स: 0522-2307798 e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक- १८५ / 241 / NULM / तीन / 2015(SM&ID-RO-EMP)

दिनांक- 25.2.16

कार्यादेश

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत सन्दर्भ संस्थाओं को इम्पैनल्ड किये जाने हेतु भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञाप सं०-एफ-एन-के-14011/7/2013-यूपीए/एफटीएस-9789 दिनांक 03.08.2015 के अनुक्रम में सिटी प्रोजेक्ट आफिसर/परियोजना निदेशक, डूडा गोण्डा, इटावा एवं गाजीपुर की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत कार्यालय ज्ञाप सं०- / 241 / एनयूएलएम / तीन / 2015(SM&ID-RO-EMP) दिनांक 22.01.2016 के माध्यम से संदर्भ संस्था के रूप में इम्पैनल्ड संस्थाओं को उनके द्वारा आवेदित शहरों में से प्रथमतः सिटी प्रोजेक्ट आफिसर/परियोजना निदेशक, डूडा गोण्डा, इटावा एवं गाजीपुर की संस्तुति के आधार पर आवेदित शहरों को आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष निम्नानुसार स्वयं सहायता समूह एवं उनके फेडरेशन्स का गठन आदि कार्यों हेतु निम्नानुसार लक्ष्य आवंटित किया जाता है :-

क्र 0	संस्था का नाम	शहर जहां प्रथमतः इम्पैनल्ड संस्था को कार्य आवंटित किया जाता है	शहरों को आवंटित लक्ष्य					
			स्वयं सहाय ता समूहों का गठन	प्रस्ता॑ वत ए. एल. एफ. का गठन	ए.एल. एफ. गठन का लक्ष्य 15-16	सी.एल.एफ. का गठन	व्यक्तिग त बचत खाता खुलवान ।	वित्तीय साक्षरता कैम्पों का आयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- 1	रुरल एजूकेशन डेवलेपमेन्ट सोसाइटी, गोण्डा	गोण्डा	50	01	01	शहर स्तर पर निर्धारित किया जायेगा	255	3
2	ज्ञानदीप महिला कल्याण समिति, गाजीपुर	गाजीपुर	50	01	01	उपरोक्तानुसार	255	3
3	कान्ती महिला सेवा सदन, मैनपुरी	इटावा	130	03	02	उपरोक्तानुसार	665	2
		औरैया	25	01	01	उपरोक्तानुसार	125	2

- उल्लिखित संस्थाओं को कार्य आवंटन इस आशय से किया जा रहा है कि सन्दर्भ संस्थाएं तीव्र गति से कार्यवाही आरम्भ करें तथा तत्काल क्षेत्र में सम्बन्धित शहरों के सी०एम०एम०य०, डूडा से समन्वयन कर कार्य आरम्भ कर वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त आवंटित लक्ष्यों को पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
- शहर विशेष हेतु इम्पैनल्ड संस्थाओं को स्वयं सहायता समूहों के गठन का उल्लिखित कार्य आवंटन शहरों में एस०एच०जी० गठन हेतु उपलब्ध लक्ष्यों/राज्य स्तर पर उपलब्ध लक्ष्यों के सापेक्ष किया जा रहा है।



4. उल्लिखित संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे तत्काल प्राविधानों के अनुसार ₹0 1.00 लाख की बैंक गारन्टी जमा करते हुए अनुबन्ध करना सुनिश्चित कराते हुए कार्य आरम्भ करें।
5. गाइड लाइन में प्रदत्त प्राविधान के अनुरूप निर्गत प्रस्ताव आमंत्रण हेतु सूडा के प्रत्रांक-043/241/एनयूएलएम/तीन/2015(SM&ID-RO-EMP)दिनांक 22.12.2015 में उल्लिखित एस0एच0जी0 के गठन एवं दो वर्षों तक हैंडहोल्डिंग सपोर्ट हेतु संदर्भ संस्था को प्रति स्वयं सहायता समूह हेतु ₹0 10,000/- का भुगतान दो वर्षों में 4 किश्तों में किया जाना प्राविधानित है। संदर्भ संस्थाओं को उक्त धनराशि एस0एच0जी0 व फेडरेशन्स का गठन, 2 वर्षों तक हैंडहोल्डिंग सपोर्ट, सामुदायिक गतिशीलता, क्षमता संवर्धन आदि कार्यों के सम्पादन हेतु दिया जाना है।, जो स्वयं सहायता समूहों के बैंक में खाता खोलने की तिथि से दो वर्षों हेतु अनुमन्य होगा, जिसके संबंध में एम0ओ0ए0 के अनुसार समर्त कार्यवाही संबंधित शहरों की शहर प्रबन्धन इकाई(सी0एम0एम0य०)/जिला नगरीय विकास अभिकरण (झूडा) द्वारा की जायेगी।
6. सभी संस्थाओं द्वारा संदर्भ संस्था के रूप में सभी कार्यवाही भारत सरकार द्वारा जारी "राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन" के निर्देशों, पूर्व में जारी प्रावधानों एवं समय—समय पर भारत सरकार, राज्य सरकार एवं मिशन निदेशक द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार की जायेगी।
7. सन्दर्भ संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि वे इस कार्यादेश एवं अनुबन्ध के उपरान्त अनुबन्ध की प्रति संबंधित शहर प्रबन्धन इकाई (सी0एम0एम0य०)/जिला नगरीय विकास अभिकरण (झूडा) को उपलब्ध कराते हुए शहर प्रबन्धन इकाई (सी0एम0एम0य०)/जिला नगरीय विकास अभिकरण (झूडा) से इस लक्ष्य आवंटन के सापेक्ष विस्तृत कार्यादेश (क्षेत्रवार एस0एच0जी0 गठन, ₹0एल0एफ0 एवं सी0एल0एफ0 गठन) प्राप्त कर उनके निर्देशन में तत्काल कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें तथा अपने कार्यों की दैनिक रिपोर्ट संबंधित शहर प्रबन्धन इकाई (सी0एम0एम0य०)/जिला नगरीय विकास अभिकरण (झूडा) को करना सुनिश्चित करें।
8. सन्दर्भ संस्थाओं के माध्यम से एस0एच0जी0 एवं उनके फेडरेशन के गठन हेतु विस्तृत दिशानिर्देश एस0य०एल0एम0, सूडा उ0प्र0 के पत्रांक-705/241/एनयूएलएम/ तीन/2001(SM&ID) दिनांक दिनांक 25.05.2015 एवं एस0एच0जी0 के सभी सदस्यों को दिये जाने वाले समूह के बैंकों में खाता खुलवाने के उपरान्त दिये जाने वाले प्रशिक्षण का माडल रूपरेखा सूडा एस0य०एल0एम के पत्र सं0-3281/241/एनयूएलएम/तीन/ 2001(SM&ID) दिनांक 24.11.2015 के द्वारा निर्गत किया गया है तथा दोनों पत्र सूडा की वेबसाइट पर अपलोड है जिसको डाउनलोड कर तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

दिनांक एवं पत्रांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, झूडा गोण्डा, गाजीपुर, इटावा एवं औरैया उ0प्र0।
5. सिटी प्रोजेक्ट आफिसर/परियोजना निदेशक, झूडा गोण्डा, गाजीपुर, इटावा एवं औरैया उ0प्र0।
6. परियोजना अधिकारी/सहायता परियोजना अधिकारी/शहर मिशन प्रबन्धक, सामाजिक विकास एवं अवस्थापना झूडा, गोण्डा, गाजीपुर, इटावा एवं औरैया उ0प्र0।
7. सम्बन्धित संस्थाओं को तत्काल कार्य प्रारम्भ करने/अनुबन्ध करते हुए कार्य आरम्भ हेतु।
8. सहायक वेब मास्टर सूडा को सूडा उ0प्र0 की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक